

वैश्विक स्पीक नीति

1. उद्देश्य

यह सुनिश्चित करना कि:

- प्रतिकार की कार्रवाई के भय के बिना वैध चिंताओं या मुद्दों को तुरंत प्रकट किया जाए।
- हम किसी भी संभावित गलत काम के प्रभाव को कम करें, और उचित उपचारात्मक उपायों को लागू करें।

2. परिभाषाएं

शब्द	परिभाषा
स्पीक अप / स्पीकिंग अप अर्थात खुलकर बोलना	JM में वैध चिंताएं प्रकट करने वर्कर्स या हितधारकों की औपचारिक प्रक्रिया, जो JM के स्पीक अप केस मैनेजमेंट सिस्टम में रिकॉर्ड की जाती है।
हितधारक	जिसमें ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, थर्ड पार्टी पार्टनर्स, निवेशकों, स्थानीय समुदाय के सदस्य या JM के कनेक्शन वाले किसी भी अन्य व्यक्ति शामिल हैं।
आप	अर्थात वर्कर्स या हितधारक।
कर्मचारी	जिसमें सीनियर मैनेजर्स, अधिकारीगण, निदेशकगण, कर्मचारीगण, कंसल्टेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, ट्रेनीज, होमवर्कर्स, पार्ट-टाइम और फिक्स्ड-टर्म वर्कर्स, कैजुअल तथा एजेंसी स्टाफ, एवं वॉंटियर्स शामिल हैं।

3. नीति

3.1 सामान्य सिद्धांत

जब आपको ऐसी जानकारी या संदेह हो कि कोई चीज गैरकानूनी, असुरक्षित या हमारी नीति संहिता (कोड ऑफ ईथिक्स) के विपरीत है, तो आपको उसके बारे में खुलकर बोलना चाहिए।

- हमारे यहां, सद्भावनापूर्वक खुलकर बोलने या किसी जांच-पड़ताल में मदद करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी प्रतिकार की कार्रवाई के लिए जीरो टोलरेंस नीति है। JM वर्कर्स द्वारा प्रतिकार की कार्रवाई को एक अनुशासनात्मक मामला माना जाता है।
- हम सभी स्पीक अप को गोपनीय रखते हैं। अर्थात उन्हें केवल सीमित संख्या में लोगों के साथ सख्त जरूरत-से-जानने के आधार पर साझा किया जाएगा (किसी भी स्थानीय कानून आवश्यकताओं के अधीन)।
- हम, खुलकर बोलने वाले लोगों को केस टीम में अपनी पहचान बताने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करते हैं, ताकि फॉलो-अप जानकारी की आवश्यकता होने पर जांचकर्ता उनसे सीधे संपर्क कर सकें। हालांकि, जहां स्थानीय कानून अनुमति देता हो, वहां स्पीक अप को अनाम रखा सकता है।
- सभी स्पीक अप को सद्भावना के साथ किया जाना चाहिए।
- आपको स्पीक अप के माध्यम से जानबूझकर या सोद्देश्य झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए। यदि आप एक वर्कर हैं तो ऐसा करने से आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
- आपको शिकायतों या व्यक्तिगत विवादों के लिए स्पीक अप का उपयोग नहीं करना चाहिए (जब तक कि वर्किंग टूगेदर नीति में वर्णित चैनलों का उपयोग न करने का कोई वैध कारण न हो)।
- ग्रुप प्रीगट के भीतर ईथिक्स और कंप्लायंस टीम सभी स्पीक अप का निरीक्षण करेगी, सिवाय उसके जहां कोई टकराव है, और ऐसी स्थिति में उसे सीधे जनरल काउंसिल और कंपनी सेक्रेटरी या ऑडिट कमेटी को यथा-उपयुक्त भेजा जाएगा।

3.2 स्पीक अप चैनल्स

- वर्कर्स के लिए आंतरिक स्पीक अप चैनलों में शामिल हैं:
 - **आपके मैनेजर्स** - एक सामान्य दिशानिर्देश के रूप में, जब आपके पास कोई खुलकर बताने वाली बात हो, वह पहले व्यक्ति होते हैं, जब तक कि वे कॉम्प्रोमाइज न हों, या आप ऐसा करने में असहज न हों।

- मानव संसाधन, स्थानीय प्रीगो काउंसिल, ईथिक्स एवं कंप्लायंस - जहां आपके द्वारा खुद को बोलने जाने वाली बात को फंक्शंस की विशेषज्ञता के भीतर है।
- अन्य फंक्शंस - जहां आपके द्वारा खुद को बोलने जाने वाली बात किसी अन्य फंक्शन की विशेषज्ञता के भीतर हो, जैसे कि EHS, ऐसे में आप को फंक्शंस में अपने स्थानीय या समूह संपर्क के समक्ष इसे प्रकट कर सकते हैं।
- ईथिक्स अंबेसडर - आप अपने ईथिक्स अंबेसडर को अपनी बात खुद को बता सकते हैं।
- वर्कर्स और किसी भी हितधारक के लिए स्पीक अप ग्राहक:
 - एक स्वतंत्र थर्ड पार्टी द्वारा होस्ट किया गया - टेलीफोन से या ऑनलाइन तरीके से रिपोर्ट सबमिट की जा सकती है।
 - हम जिन साइटों ऑपरेट करते हैं, वहां स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है।
 - साइट में 24/7, 365 दिन संचालित होता है। अधिक जानकारी के लिए speakup.matthey.com पर जाएं।
 - यदि आप अनाम रूप से रिपोर्ट दर्ज करते हैं, तो कृपया **आपकी रिपोर्ट करने से 5 दिनों के भीतर** वेबसाइट चेक करें या और उसके बाद नियमित रूप से टेलीफोन ग्राहक पर कॉल करें - यही एकमात्र तरीका है जिससे हम आपसे संपर्क कर सकते हैं।
- आपको उपर्युक्त चैनलों में से किसी एक के माध्यम से आंतरिक रूप से अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जाता है। यद्यपि, ऐसी परिस्थितियों में आप अपनी चिंता किसी एक्सटर्नल पार्टी को रिपोर्ट कर सकते हैं, जब आपको पता है कि हमारे आंतरिक चैनलों से समझौता किया गया है, आप उनसे उन परिस्थितियों में ठीक से काम करने की उम्मीद नहीं करते हैं या जहां आपने आंतरिक रूप से चिंता जताई है और हमने उचित समय सीमा में उत्तर नहीं दिया है।

4. अपवाद

एस नीति के अपवाद संबंधी किसी भी अनुरोध को अनुमोदन हेतु जनरल काउंसिल, ग्रुप या उनके द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति के पास भेजना आवश्यक है।

5. उल्लंघन के परिणाम

एस नीति के किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप नौकरी की समाप्ति सहित अनुशासनात्मक कार्यवाई की जा सकती है।

6. सन्दर्भ

6.1 संबंधित नीतियाँ

- नीति संहिता (कोड ऑफ़ ईथिक्स): उचित कार्य करना नीति संहिता (कोड ऑफ़ ईथिक्स) | Johnson Matthey
- वैश्विक मानवाधिकार नीति [Global Human Rights Policy .docx](#)
- वैश्विक वर्किंग टूगेदर नीति [Global Working Together Policy.docx](https://myjm.sharepoint.com/:w:/r/teams/GroupPolicies/Policies/Global%20Working%20Together%20Policy.docx?d=we4e3d043e6d541ee873efd16801cce1c&csf=1&web=1&e=55k42n)

6.2 संबंधित मार्गदर्शन

- स्पीक अप ग्राहक [स्पीक अप ग्राहक](#)

7. परिशिष्ट

7.1. अंतिम जिम्मेदारियाँ

अंतिम जिम्मेदारियाँ	बिजनेस भूमिकाएँ
अनुमोदक (GLT प्रायोजक)	जनरल काउंसिल व कंपनी सेक्रेटरी
ऑनर	जनरल काउंसिल, ग्रुप
लेखक	असिस्टेंट जनरल काउंसिल, ईथिक्स एवं कंप्लायंस

7.2 संस्करण निंत्रण

संस्करण	तिथि	संस्करण
1.0	09/11/2022	नीति को अपडेट किया गया 1) अपडेटेड वर्किंग टूगेदर नीति के अनुरूप बनाने के लिए; 2) 2019 EU व्हिसाब्लोडिंग निर्देश का अनुपादन करने के लिए; और 3) सभी कर्मचारियों और अन्य पक्षों के लिए आवश्यक जानकारी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। स्पीक अप प्रक्रिया और सामान्य प्रश्नों की विस्तृत जानकारी स्पीक अप गाइड में वर्णित है
1.1	28/07/2023	अपडेटेड स्पीक अप वेब एड्रेस नीति में जोड़ा गया
1.2	22/10/2024	ईथिक्स पैनाल से संदर्भ को हटाया गया और ग्रुप ईथिक्स एवं कंप्लायंस टीम के साथ टकराव उत्पन्न होने की स्थिति में रेफरल प्रोसेस को अपडेट किया गया।